[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION (3), SUB-SECTION (i), EXTRAORDINARY]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, dated the 17th March, 2011

NOTIFICATION

G.S.R. (E): In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 637 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and supersession of the notification of the Government of India, in the (Department of Company Affairs) G.S.R. No. 288 (E) dated the 31st May 1991, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby delegates to the Regional Directors at Mumbai, Kolkata, Chennai, Noida and Ahemdabad, the powers and functions of the Central Government under the following provisions of the said Act, namely:-

- Section 22,
- Sub-sections (3),(4),(7) and clause (a) of sub-section (8) of section 224,
- Section 297 (1) Proviso,
- Section 394-A,
- Section 400,
- Second proviso to sub-section (5) of section 439 and sub-section (6) of the said section,
- Clause (a) of sub-section (1) of section 496,
- Clause (a) sub-section (1) of section 508,
- Sub-section (1) of section 551,
- Clause (b) of sub-section (7) of section 555 and the proviso to clause (a) of sub-section (9) of the said section,
- Provisos to sub-section (1) of section 610, and
- Section 627.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No. 5 / 07/2011-CL- V]

(Renuka Kumar)
Joint Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड (3), उप-खंड (i), असाधारण में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक: 16 मार्च, 2011

सा.का.नि..........(अ): केन्द्र सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 637 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एवं भारत सरकार (कंपनी कार्य मंत्रालय) की अधिसूचना सा.का.नि. 288(अ) दिनांक 31 मई, 1991 को प्रतिस्थापित करते हुए, ऐसी बातों के अतिरिक्त जिन्हें इस प्रतिस्थापन से पूर्व ही किया जा चुका है या करने से छूट दी जा चुकी है, एतद्द्वारा उपरोक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंधों के तहत केन्द्र सरकार की शक्तियों एवं कार्यों को मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा एवं अहमदाबाद स्थित प्रादेशिक निदेशकों को प्रत्यायोजित करती है।

- धारा 22,
- धारा 224 की उपधाराएं (3),(4),(7) एवं उपधारा (8) का खंड (क),
- धारा 297(1) परंतुक,
- धारा 394-क,
- धारा 400,
- धारा 439 की उपधारा (5) का द्वितीय परंतुक एवं उक्त धारा की उपधारा (6),
- धारा 496 की उपधारा (1) का खंड (क),
- धारा 508 की उपधारा (1) का खंड (क),
- धारा 551 की उपधारा (1),
- धारा 555 की उपधारा (7) का खंड (ख) एवं उक्त धारा की उपधारा (9) के खंड (क) का परंतुक,
- धारा 610 की उपधारा (1) के परंतुक, एवं
- धारा 627.

2. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 5/07/2011-सीएल-V]

रेणुका कुमार
(रेणुका कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार